HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IIIrd Bail Application No. 7906/2026
URN: CRLMB / 14459U / 2026

1. Ramkumar S/o Mohanlal, R/o Dagariya, Police Station Digod, District Kota Rural (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Special Central Jail Kota).
2. Mahaveer S/o Mohanlal, R/o Dagariya, Police Station Digod, District Kota Rural (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Special Central Jail Kota).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anmol Dhakar
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP Mr. Pawan Kumar Verma

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

17/07/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना उद्योग नगर जिला कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 615/2025 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 189(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने हेतु यह **तृतीय** जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण की जमानत का द्वितीय प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.04.2026 को निरस्त होने के उपरांत प्रकरण में परिवादी/आहत भोगवंत पी0ड03 के रूप में तथा चिकित्सकीय परीक्षण करने वाला साक्षी विकास पी0ड04 के रूप में परीक्षित हो चुके हैं। उनका तर्क है कि परिवादी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि घटना के 11 घण्टे पश्चात् भी उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी–4 में अभियुक्तगण के नाम नहीं बताए थे और चिकित्सक

विकास ने भी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि तीनों आहतगण में से किसी को भी कोई चोट प्राणघातक कारित नहीं हुई थी। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 15.01.2026 से अभिरक्षा में है। पूर्व का एक मुकदमा रामकुमार के विरूद्ध था, जिसमें वह दोषमुक्त हो चुका है। अन्य अभियुक्त महावीर के विरूद्ध दो मुकदमे पूर्व के थे जिसमें से एक में वह दोषमुक्त हो चुका है। उनका तर्क है कि अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आहत के सिर के पैराइटल भाग पर चोटें कारित हुई हैं। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि डॉ. विकास पी0ड04 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि तीनों आहतगण के चोट प्रतिवेदनों में वर्णित चोटें जीवन के लिए प्राणघातक नहीं थीं। आहतगण को कारित सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 15.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रार्थी रामकुमार के विरूद्ध लम्बित पूर्व के एकमात्र आपराधिक प्रकरण में उसे दोषमुक्त किया जाना बताया गया है। प्रार्थी महावीर के विरूद्ध पूर्व के लम्बित दो आपराधिक प्रकरणों में से एक में उसे भी दोषमुक्त किया जाना बताया गया है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के प्रकाश में, प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा

उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(SHUBHA MEHTA),J

3/AJAY KUMAR SINGHAL/712